

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

पुनर्वित्त विभाग

प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुंबई - 400 051
टेलि : +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • वेबसाइट : www.nabard.org



National Bank for Agriculture and Rural Development

Department of Refinance

Head Office : BKC, Bandra (E), Mumbai - 400 051

Tel. : +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090

E-mail : dor@nabard.org • Website : www.nabard.org

संदर्भ सं. राबैं.डीओआर.जीएसएस/ 1328 /डीईडीएस 1/ 2014-15

25 जून 2014

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ एडीएफसी/ राज्य सहकारी बैंक/

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

सभी अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक

डेयरी उद्यमिता विकास कार्यक्रम (डीईडीएस) - वित्तीय वर्ष 2014-15

के लिए योजना का जारी रहना

कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 30 मई 2014 के पत्र सं. एनबी.डीओआर.जीएसएस/ 853/ डीईडीएस 1/ 2014-15 (परिपत्र सं.92/डीओआर 30/ 2014) का संदर्भ लें. इस संबंध में हम निम्नानुसार सूचित करते हैं -

1. सब्सिडी आवेदन दावे जिनमें ऋण की पहली किश्त 30 अप्रैल 2014 तक जारी कर दी गई थी, नाबाई द्वारा 30 जून 2014 तक स्वीकार किए जाएंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी. वर्ष 2014-15 के दौरान उक्त शीर्षकित योजना के अंतर्गत 30 जून 2014 के पश्चात प्राप्त कोई भी सब्सिडी दावे (दिनांक 30.4.2014 तक संवितरण) स्वीकृति योग्य नहीं होंगे.
2. इसके अलावा ऐसे सब्सिडी दावे जिनमें पहली किश्त 1 मई 2014 या उसके बाद जारी की गई है, जैसा कि नीति संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित है, प्रथम किश्त के जारी होने के दिनांक से 2 माह के भीतर बैंकों द्वारा नाबाई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिए जाएं. निर्दिष्ट अवधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र वर्ष 2014-15 के दौरान सब्सिडी जारी करने हेतु स्वीकृति योग्य नहीं होंगे

गाँव बढ़े तो देश बढ़े

Gaon Badhe Toh Desh Badhe

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

पुनर्वित्त विभाग

प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051
टेलि : +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • वेबसाईट : www.nabard.org



National Bank for Agriculture and Rural Development

Department of Refinance

Head Office : BKC, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Tel. : +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090
E-mail : dor@nabard.org • Website : www.nabard.org

Ref No: NB.DoR.GSS/ 1328 / DE DS 1/ 2014-15

25 June 2014


The Chairman/ Managing Director
All Scheduled Commercial Banks
All RRBs/ ADFCs/StCBs/SCARDBs
All Scheduled Primary Urban Cooperative Banks

Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) - Continuation of the Scheme for the financial year 2014-15

Please refer to our letter No: NB.DoR.GSS/ 853/ DE DS 1/ 2014-15 (Circular No 92/ DoR 30 /2014) dated 30 May 2014 on the captioned subject. In this connection we advise as under:

1. The subsidy applications where the first installment of the loan was released upto 30 April 2014 shall be accepted and processed by NABARD latest by **30 June 2014**. No further Subsidy claims (disbursement upto 30.04.2014) are permitted for release of subsidy under the captioned scheme during the year 2014-15.
2. Further, in respect of the subsidy claims where the first installment was released from 01 May 2014 onwards, the same shall be forwarded by the banks to the concerned NABARD Regional Offices within a period of two months from the date of release of first instalment as indicated in the policy guidelines. Applications received beyond the specified period are not permitted for release of subsidy during the year 2014-15.

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने नियंत्रक कार्यालयों/ क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली शाखाओं को सूचित करें कि वे सब्सिडी संबंधी आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करें ताकि वर्ष 2014-15 के लिए सब्सिडी जारी करने हेतु हम उस पर विचार कर सकें.



(पी पी चहांदे)

सहायक महाप्रबंधक

3. You are, therefore requested to advise controlling offices/ branches under your Jurisdiction to submit the subsidy application within the stipulated time limit to enable us to consider the application for release of subsidy for the year 2014-15



(P P Chahande)

Assistant General Manager